

22/7/24 पत्रावली पेशादारी वकील श्री लाल उषा
 वकील श्री लाल का अर्जी संख्या 100/2024
 पेशा करने हेतु पत्रावली अवसर दिया जा चुका
 है, लेकिन पत्रावली अवसर दिये जाने के बावजूद
 भी आप दिनांक 20/7/24 को अर्जी पेश नहीं,
 अतः श्री लाल का अर्ज अंतर्गत कोर्ट का
 आदेश के तहत खारिज किया जाता है। पत्रावली
 फसल शर्तों को लेकर अर्ज से कम होकर दायित्व
 है।